संख्या-62/2016/904/26-3-2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 30 मार्च, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान के लिये अतिरिक्त बजट व्यवस्था के लिये पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1899/स0क0/विकास/पुनर्विनियोग/2015-16 दिनांक-16.03.2016 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की उक्त योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-50,00,000/-(रूपये-पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) मद में बचत की उपलब्धता का दायित्व आपका होगा।

2- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, आप द्वारा उसका सद्पयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लेंगे।

4- जिन कर्मियों का भुगतान प्रस्तावित है, उन्हे नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत रखा गया है, यह सुनिश्चित कर लेंगे।

5- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

6- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-04-अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-490/दस-2016, दिनांक 29 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-62/2016/904(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद

3- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2

7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

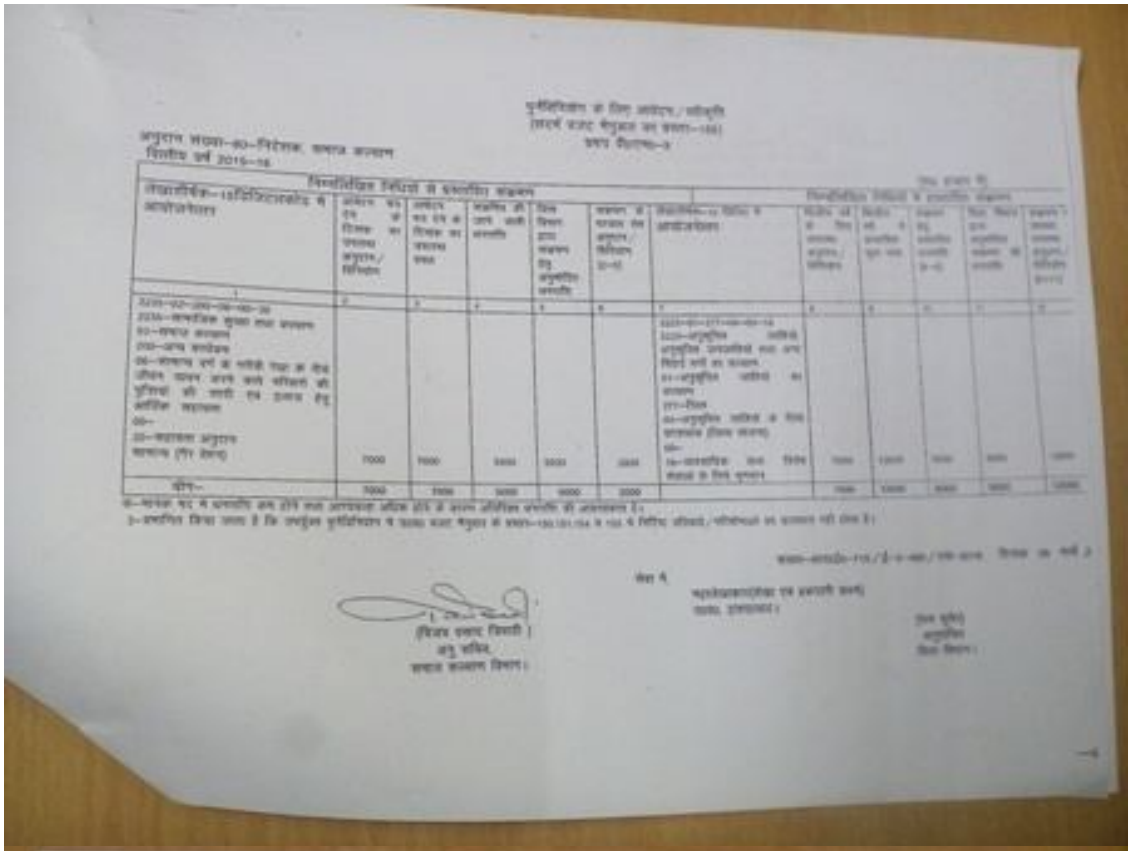

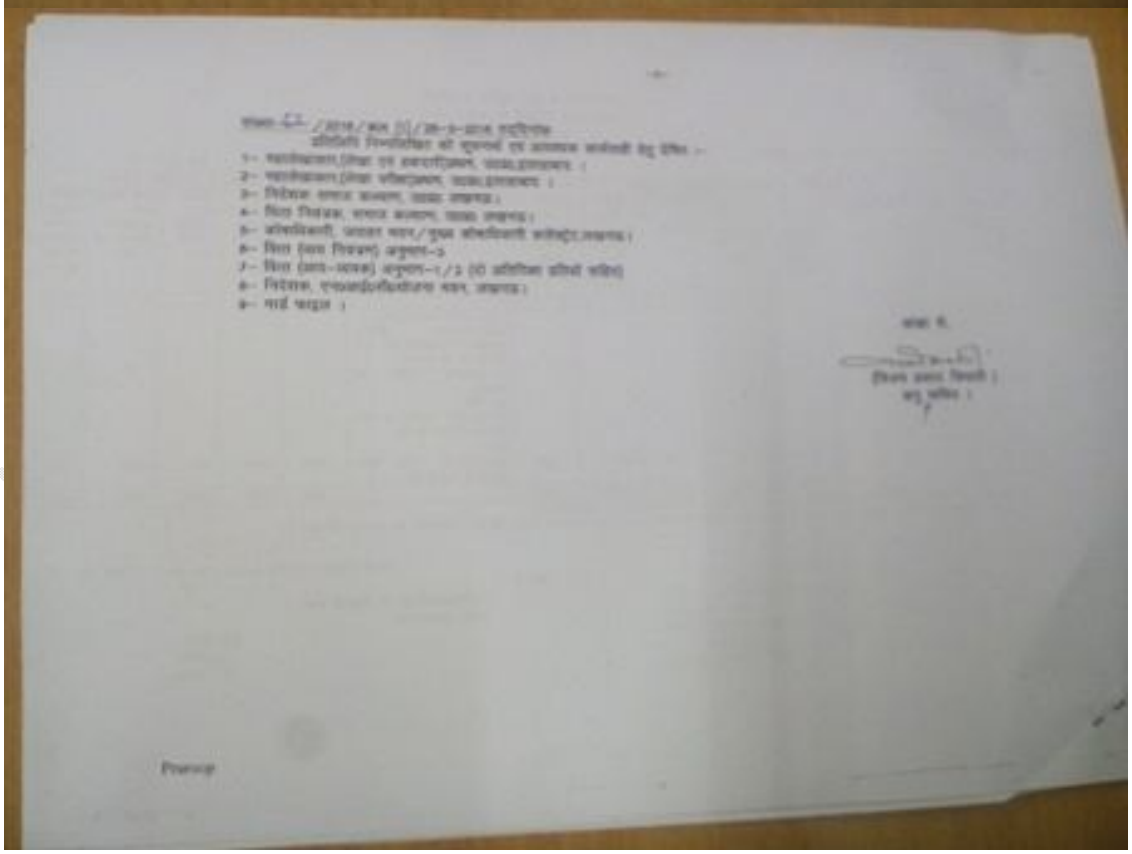

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।